भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2574

(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएँ

2574. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त योजना की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है;

(ग) उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन करने में राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश और दादरा और नगर हवेली सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

(डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

पारदर्शिता और जवाबदेही मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मुख्य केंद्रबिंदु हैं। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रक्रियाएँ अपनाई हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए गए हैं। हालाँकि , ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन पर ज़ोर देता है। कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमवार कारकों का विश्लेषण किया जाता है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में कुछ प्रमुख कार्यनीतियाँ इस प्रकार हैं: -

i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएँ पूर्णता तक पहुँचें , मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है , जिसमें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें , जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ("दिशा") बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम) , क्षेत्र अधिकारी योजनाएँ , सामान्य समीक्षा मिशन , समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-विशिष्ट समीक्षाएं भी समय-समय पर की जाती हैं और उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

ii. ग्रामीण विकास की योजनाओं को समग्र लेनदेन-आधारित एमआईएस पर उपलब्ध कराया गया है, जो सभी हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। कार्यों की तस्वीरें जियो-टैग और टाइम स्टैम्प के साथ ली जाती हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं का पूरा डेटा सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है।

iii. उपरोक्त के अतिरिक्त , मंत्रालय कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराता है , वन मंज़ूरी लेने में सहायता करता है , कार्मिक, तकनीकी सहायता आदि के लिए संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

iv. महात्मा गांधी नरेगा योजना और पीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा भी की जाती है। मनरेगा कार्यों से संबंधित किसी भी शिकायत के समाधान के लिए लोकपाल भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके

अतिरिक्त, ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में शिकायत निवारण पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

v. राज्यों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह दी जाती है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। कार्मिकों की भर्ती और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम कार्मिकों के प्रशिक्षण और अभिविन्यास की भी समय-समय पर व्यवस्था की जाती है।

vi. प्रशासनिक एवं तकनीकी निरीक्षण और लेखापरीक्षा के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। निरीक्षण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन , अर्थात् क्षेत्रीय अधिकारी ऐप बनाया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के ऐप बनाए गए हैं और यह आवश्यकता के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी इनके माध्यम से की जाती है।

vii. निधि जारी करने के प्रस्तावों और दस्तावेज़ीकरण की तैयारी के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जाता है और इस संबंध में उन्हें समय पर सलाह दी जाती है। यदि देरी होती है तो निधि जारी करने संबंधी मामला उच्च स्तर तक पहुँचाया जाता है।

viii. योजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु जमीनी स्तर से मांग उत्पन्न करने हेतु महिला नेटवर्क , समुदाय आधारित संगठनों और नागरिक समाज संगठनों को जोडा जाता है।

ix. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत , राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) की सहायता से विकसित एक भू-स्थानिक पोर्टल , सृष्टि, का उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित 'दृष्टि' नामक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके , लगभग वास्तविक समय के आधार पर जियो-कोडेड और टाइम-स्टैम्प्ड तस्वीरें सृष्टि पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से नियमित आधार पर की जाती है।

(घ) से (ङ): ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाएँ/कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। वर्तमान में मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा नहीं देता है।

****